682

संख्या-682/एक-10-2026

प्रेषक,

अरूण प्रकाश,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,
उ0प्र0 अग्निशमन एवं आपात सेवा,
लखनऊ।

राजस्व अनुभाग **10-लखनऊः दिनांकः** 23-06-2026

विषयः- वित्तीय वर्ष 2026-27 में अग्निशमन तथा आपात सेवा विभाग में कार्यरत कार्मिकों को उनकी क्षमता संवर्धन हेतु खोज एवं बचाव कार्यों के प्रशिक्षण की परियोजना हेतु धनराशि आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-एफ0एस0-1101-2026 दिनांक 19.05.2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2026-27 में अग्निशमन तथा आपात सेवा विभाग में कार्यरत कार्मिकों को उनकी क्षमता संवर्धन हेतु खोज एवं बचाव कार्यों के प्रशिक्षण की परियोजना हेतु धनराशि रू0 2,08,80,000/- (रू0 दो करोड़ आठ लाख अस्सी हजार मात्र) आवंटित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अप्रेजल समिति की बैठक दिनांक 11.02.2026 में प्राप्त संस्तुति एवं राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 10.04.2026 में प्राप्त अनुमोदन के क्रम में वित्तीय वर्ष 2026-27 में अग्निशमन तथा आपात सेवा विभाग में कार्यरत कार्मिकों को उनकी क्षमता संवर्धन हेतु खोज एवं बचाव कार्यों के प्रशिक्षण की परियोजना हेतु राज्य आपदा मोचक निधि की प्रपेयर्डनेस एवं कैपेसिटी बिल्डिंग मद से वित्तीय वर्ष 2026-27 में **रू0 2,08,80,000/- (रू0 दो करोड़ आठ लाख अस्सी हजार मात्र)** की धनराशि निर्गत करते हुए निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 अग्निशमन एवं आपात सेवा, लखनऊ के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैः-

नियम व शर्तें/प्रतिबंध-

(1) उ0प्र0 अग्निशमन तथा आपात सेवा विभाग को पूर्व में आवंटित धनराशि इस परियोजना में व्यय ना किया जाये तथा पूर्व में आवंटित धनराशि का उपयोग प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाए

(2) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग गृह विभाग/अग्निशमन एवं आपात सेवा मुख्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं

प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(4) निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना, तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुप्रयोग सुनिश्चित करना एवं व्यय का पूर्व विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराया जाये। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाये।

(5) राज्य आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि का उपयोग गृह मंत्रालय (आपदा प्रबन्धन प्रभाग), भारत सरकार के पत्र संख्या-33-02/2020-NDMA-1, दिनांक 22.04.2022 द्वारा निर्गत गाइडलाइन के अनुसार किया जायेगा। अपर पुलिस महानिदेशक, पी0ए0सी0 मुख्यालय, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि गाइडलाइन के किन्हीं निर्देशों का उल्लंघन न होने पाये।

(6) राज्य आपदा मोचक निधि के क्षमता निर्माण मद से स्वीकृत धनराशि का उपभोग वित्तीय नियमों के अनुसार तथा वित्तीय हस्त-पुस्तिका/बजट मैनुअल के अनुसार किया जायेगा।

(7) जिस मद में धनराशि स्वीकृति की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा, किसी अन्य मद में धनराशि का डायवर्जन नहीं किया जायेगा।

(8) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0-2/1- 11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2027 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(9) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलव्ध कराया जायेगा।

(10) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

(11) राज्य आपदा मोचक निधि के सबध में समय-समय पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं एनडीएमए द्वारा जो भी दिशा-निर्देश/गाइडलाइन निर्गत किये गये है अथवा किये जायेंगे के अनुसार उक्त धनराशि का उपभोग की कार्यवाही समयबद्धरूप से सुनिश्चित की जायेगी।

(12) प्रश्नगत परियोजना के परिणामों की निगरानी का कार्य उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रू0 2,08,80,000/- (रू0 दो करोड़ आठ लाख अस्सी

हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 2245-05-800-06-11 स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय-4 2 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
Digitally signed by
ARUN PRAKASH
Date: 23-06-2026
16:20:26
(अरुण प्रकाश)
विशेष सचिव।

संख्या:-682(1)/एक-10-2026, तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4- पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, उ0प्र0, लखनऊ
5- राहत आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ।
6- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, लखनऊ।
7- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
8- वरिष्ठ, वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
9- कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
10- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5।
11- गृह पुलिस अनुभाग-7।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
Digitally signed by
Kuldeep Singh
Date: 23-06-2026
16:23:30
(कुलदीप सिंह)
उप सचिव।

उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा अपात सेवा मुख्यालय लखनऊ।

पुलिस भवन (सिग्नेचर बिल्डिंग) 4 टावर प्रथम/द्वितीय तल इकाना अन्तर्राष्ट्रीय स्टेडियम के सामने शहीद पथ गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ

दिनांकः जुलाई 01 ,2026

पत्र संख्याःएफ0एस0-1101-2026

सेवा में,

वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी,
राहत आयुक्त कार्यालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

विषयः- **ऑनलाइन बजट आवंटन हेतु सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी का डी0डी0ओ0 कोड आदि विवरण उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।**

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 10222/रा0आ0का0/2026-27 दिनांक-24.06.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राजस्व अनुभाग-10 उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0-682/एक-10-2026 दिनांक 23.06.2026 द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में अग्निशमन आपात सेवा विभाग में कार्यरत कार्मिकों को उनकी क्षमता संवर्धन हेतु खोज एवं बचाव कार्यो के प्रशिक्षण कर परियोजना हेतु राज्य आपदा मोचन निधि की प्रपेयर्डनेस एवं कैपेसटी बिल्डिंग मद से धनराशि रू0 2,08,80,000/-(रूपये दो करोड़ आठ लाख अस्सी हजार मात्र) अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 अग्निशमन एवं आपात सेवा, लखनऊ के निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

SFAO
03/07/26

2. अतः उक्त स्वीकृत धनराशि का ऑनलाइन आवंटन किये जाने हेतु सम्बन्धित का डी0डी0ओ0 कोड, डी0डी0ओ0 पदनाम व कोषागार का नाम/कोड इत्यादि विवरण राहत आयुक्त कार्यालय को शीघ्र उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है। जिसका विवरण क्रमशः निम्नवत् हैः-

1. **डी0डी0ओ0 कोड संख्या-2530 (दो, पॉच, तीन, जीरो) है।**
2. **पुलिस उपमहानिरीक्षक**
3. **सम्बद्ध ट्रेजरी जवाहर भवन लखनऊ का कोड न0-6000 (छः हजार) है**

01/07/2026

(सुभाष कुमार)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी/
नोडल अधिकारी (पी0)
नि0-पुलिस उप महानिरीक्षक,
उ0प्र0 अग्निशमन तथा आपात सेवा,
लखनऊ।

Scanned with OKEN Scanner

पत्रांक: 10222/रा0आ0का0/2026-27

प्रेषक,

वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी,
राहत आयुक्त कार्यालय,
उ0 प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,
उ0प्र0 अग्निशमन एवं आपात सेवा,
लखनऊ।

राहत आयुक्त कार्यालय

लखनऊ दिनांक 24 जून, 2026

विषयः आनलाइन बजट आवंटन हेतु सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी का डी0डी0ओ0 कोड आदि विवरण उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि राजस्व अनुभाग-10 उ0 प्र0 शासन के शासनादेश सं0-682/एक-10-2026 दिनांक 23.06.2026 द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में अग्निशमन आपात सेवा विभाग में कार्यरत कार्मिकों को उनकी क्षमता संवर्धन हेतु खोज एवं बचाव कार्यों के प्रशिक्षण की परियोजना हेतु राज्य आपदा मोचक निधि की प्रपेयर्डनेस एवं कैपेसिटी बिल्डिंग मद से धनराशि रू0 2,08,80,000/- (रूपये दो करोड़ आठ लाख अस्सी हजार मात्र) अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 अग्निशमन एवं आपात सेवा, लखनऊ के निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अतः उक्त स्वीकृत धनराशि का आनलाइन आवंटन किये जाने हेतु सम्बन्धित का डी0डी0ओ0 कोड, डी0डी0ओ0 का पदनाम व कोषागार का नाम/कोड इत्यादि विवरण राहत आयुक्त कार्यालय को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि धनराशि का आनलाइन बजट आवंटन शीघ्र किया जा सके।

भवदीय,

24/6/26

(अरविन्द कुमार सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी।

राहत आयुक्त कार्यालय, उत्तर प्रदेश

पत्रांक: 10248 /रा0आ0का0/2025-26

प्रेषक,

वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त कार्यालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

अपर निदेशक,
वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

राहत आयुक्त कार्यालय　　　　　　　　　　लखनऊ　दिनांक 03 जुलाई, 2026

विषय: बजट आवंटन हेतु अनुदान संख्या-51 के लेखाशीर्षक-2245-05-800-06-11 से आहरण वितरण अधिकारी के डी0डी0ओ0 कोड एवं ट्रेजरी कोड सम्बद्ध किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राजस्व अनुभाग-10 उ0 प्र0 शासन के शासनादेश सं0-682/एक-10-2026 दिनांक 23.06.2026 द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में अग्निशमन आपात सेवा विभाग में कार्यरत कार्मिकों को उनकी क्षमता संवर्धन हेतु खोज एवं बचाव कार्यों के प्रशिक्षण की परियोजना हेतु राज्य आपदा मोचक निधि की प्रपेयर्डनेस एवं कैपेसिटी बिल्डिंग मद से धनराशि रू0 2,08,80,000/- (रूपये दो करोड़ आठ लाख अस्सी हजार मात्र) अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 अग्निशमन एवं आपात सेवा, लखनऊ के निवर्तन पर आवंटित की किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उक्त स्वीकृत धनराशि का ऑनलाइन आवंटन किये जाने हेतु उ0प्र0 अग्निशमन एवं आपात सेवा, लखनऊ के डी0डी0ओ0 कोड-2530 को अनुदान संख्या-51 के एस0डी0आर0एफ0 के बजट लेखाशीर्षक 2245-05-800-06-11 स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय 42-अन्य व्यय से सम्बद्ध किया जाना है।

अतः अनुरोध है कि पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0 अग्निशमन एवं आपात सेवा, लखनऊ के डी0डी0ओ0 कोड-2530 एवं ट्रेजरी कोड 6000-जवाहर भवन कोषागार को यूजर आई0डी0-rahat विभाग कोड-0201 से सम्बद्ध करने का कष्ट करें, ताकि धनराशि का ऑनलाइन बजट आवंटन किया जा सके।

भवदीय,

3/7/26

(अरविन्द कुमार)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2026-2027
आवंटन दिनांक-08/07/2026

प्रेषण संख्या:- 682
आवंटन आदेश संख्या:- 001-682
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2026-2027 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय (राज्यांश)
11 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-2530-अपर पुलिस महानिदेशक - फायर सर्विस , लखनऊ-01-अपर पुलिस महानिदेशक फायर सर्विस	वर्तमान प्रगामी	20880000 20880000	20880000 20880000
	योग	वर्तमान प्रगामी	20880000 20880000	20880000 20880000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया दो करोड़ आठ लाख अस्सी हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया दो करोड़ आठ लाख अस्सी हजार

(अरविन्द कुमार सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी

Digitally signed by ARVIND KUMAR SINGH
Reason: Allotment Completed
Location:Uttar Pradesh
Date:2026.07.08 04:28:48 +05:30